

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग₋₃, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 भाद्रपद 4, 1947 शक सम्वत्

> विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1789 / वि०स0 / संसदीय / 66(सं)-2025 लखनऊ, 12 अगस्त, 2025

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पुर:स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- 1—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।
 - (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-
 - (क) धारा 2(i) और 6, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी;
- (ख) धारा 2(ii), 2(iii) से 5 और धारा 7 से 14, उस तारीख से प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

धारा 2 का संशोधन

- 2— उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
- (i) खण्ड (61) में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' रख दिये जाएंगे;
 - (ii) खण्ड (69) में,-
- (क) उप—खण्ड (ग) में, शब्द 'नगरपालिका' के पश्चात् शब्द 'निधि' बढ़ा दिया जाएगा;
- (ख) उप—खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:—

'स्पष्टीकरण–इस उप–खण्ड के प्रयोजनों के लिए–

- (क) "स्थानीय निधि" का तात्पर्य किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से है;
- (ख) "नगरपालिका निधि" का तात्पर्य किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से है।':
 - (iii) खण्ड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:--
- '(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" का तात्पर्य धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन से है और इसके अंतर्गत अंकीय स्टाम्प, अंकीय चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्नांकन सम्मिलित है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और हटाने योग्य न हो'

धारा 12 का संशोधन 3— मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन 4— मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

धारा 17 का संशोधन

- 5- मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) में,-
- (i) शब्दों "संयंत्र या मशीनरी" के स्थान पर शब्द "संयंत्र और मशीनरी" शब्द रख दिए जाएंगे और तारीख 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे,
- (ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढा दिया जाएगा, अर्थात:—

'स्पष्टीकरण 2— खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी संदर्भ का अर्थ "संयंत्र और मशीनरी" के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और हमेशा समझा जाएगा।'।

धारा 20 का संशोधन

- 6— मूल अधिनियम की धारा 20 में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से,—
- (i) उपधारा (1) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) रख दिये जाएंगे;
- (ii) उपधारा (2) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' रख दिये जाएंगे।

7— मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित धारा 34 का परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात:-

संशोधन

"परन्तु यह कि पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की

- (i) ऐसे जमा पत्र के कारण माना जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय, यदि प्राप्त किया गया है, प्राप्तकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया है, जहां ऐसा प्राप्तकर्ता रजिस्ट्री कृतव्यक्ति है; या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है।"
 - 8- मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

धारा ३८ का

संशोधन

- (i) उपधारा (1) में,शब्द ''स्वतः जनित विवरण'' के स्थान पर, शब्द 'विवरण' रख दिया जाएगा,
 - (ii) उपधारा (2) में,-
- (क) शब्द 'स्वतः जनित विवरण' के स्थान पर, शब्द 'निर्दिष्ट विवरण' रख दिये जाएंगे;
 - (ख) खंड (क) में,शब्द 'और' निकाल दिया जायेगा;
 - (ग) खंड (ख) में,शब्द 'के कारण' के पश्चात, शब्द 'सहित' बढा दिया जाएगा;
 - (घ) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-
 - ''(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।''।

9— मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, शब्दों "और ऐसे समय के भीतर" के धारा 39 का स्थान पर, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" रख संशोधन दिये जाएंगे।

10— मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:--

धारा 107 का संशोधन

"परन्तू यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की स्थिति में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

11— मूल अधिनियम की धारा 112 की, उपधारा (8) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया

धारा 112 का संशोधन

"परन्तु यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन देय राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

12— मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:-

नई धारा 122ख का जोडा जाना

"122ख— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह अध्याय 15 या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपए या ऐसे माल पर देय कर के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।"

13— मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी,

नई धारा 148क का बढ़ाया जाना

"148क (1) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकती है-

(क) माल;

- (ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो ऐसे माल पर कब्जा रखते हैं या उससे व्यवहार करते हैं, जिन पर इस धारा के उपबंध लागू होंगे।
 - (2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-
- (क) विशिष्ट पहचान चिन्ह लगाने और उसमें निहित सूचना के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और पहुंच के लिए, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा कि विहित किया जाय, एक प्रणाली प्रदान कर सकती है; और
- (ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिन्ह विहित कर सकती है, जिसमें उसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी सम्मिलित है।
 - (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-
- (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर, ऐसी सूचना और ऐसी रीति से एक विशिष्ट पहचान चिन्ह लगाएंगे;
- (ख) ऐसी सूचना और ब्यौरे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज, ऐसे प्ररूप में और रीति से बनाए रखेंगे;
- (ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान पर स्थापित मशीनरी का ब्यौरा, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना सिम्मिलित हैं, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत करेंगे;
- (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करेंगे, जैसा कि विहित किया जा सकता है।"

अनुसूची-3 का संषोधन

- 14— मूल अधिनियम की अनुसूची-3 में,—
- (i) पैरा 8 में, खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा और तारीख 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
- "(कक) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में भांडागार में रखे गए माल की निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को पूर्ति;";
- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, शब्द और अंक "पैरा 8 के" के पश्चात, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क)" बढ़ा दिए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाये गए समझे जाएंगे;
- (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 3-पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों "विशेष आर्थिक क्षेत्र", "मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके लिए समनुदेशित हैं।"

15—ऐसे समस्त कर की वापसी नहीं की जाएगी जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि इस अधिनियम की धारा 14 सभी तात्विक समयों पर लागू होती।

निरसन और व्यावृत्ति

16—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देष्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन, 2017), (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क (1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधान मंडल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 7 सन, 2025) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन, 2017) में कतिपय संशोधन किये गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सिम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ।

चूँकि राज्य, विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन—पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्गस्त हैं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्नवत है:—

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1	2
1 (2)(ख)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसे दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा ।
13	इसके द्वारा एक नई धारा 148क जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह परिषद की सिफारिशों पर किसी माल के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जो उक्त माल पर कब्जा रखते हैं या उससे व्यवहार करते हैं, को उस माल पर विशिष्ट पहचान चिन्ह अंकित करने के लिए अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित कर सकती है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेष माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

- धारा 2(61)
- (61) "इनपुट सेवा वितरक" का तात्पर्य माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता के कार्यालय से है जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजकों सिहत इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी हैं;
- धारा 2 (69) (ग)
- (ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है:
- खण्ड 12 (4)
- (4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाउचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,-
 - (क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या
 - (ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा ।
- खण्ड 13(4)
- (4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाउचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,-
 - (क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या
 - (ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा ।
- खण्ड 17(5) (घ)
- (घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मषीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।
- धारा 20
- (1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय जो इनपुट सेवाओं, जिसमें धारा 9 की उपधारा (३) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित है, की प्राप्ति के लिए धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है, का धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा और ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करेगा।
- (2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर लगाए गए, राज्य कर या एकीकृत कर के प्रत्यय जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये उद्ग्रहीत सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर का प्रत्यय सम्मिलित है, जिसका संदत्त उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा किया गया हो, को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों को अध्यधीन जैसा विहित किया जा सकता है, वितरित करेगा।
- धारा 34(2) का परन्तुक
- परंतु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

धारा 38

- (1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियाँ और ऐसी अन्य पूर्तियाँ, जो विहित की जायें, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे से अन्तर्विष्ट स्वतः जिनत विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय. उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे,-
- (क) आवक पूर्तियों का ब्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकता है; और
- (ख) पूर्तियों का ब्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के ब्यौरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है.—
- (i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथाविहित अवधि के भीतरः या
- (ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और जहां ऐसी चूक यथाविहित अवधि तक जारी हो;
- (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथाविहित अवधि के दौरान, संदेय आउटपुट कर, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथाविहित सीमा से अधिक हो;
- (iv) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथाविहित अविध के दौरान उस धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, यथाविहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो;
- (v) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथाविहित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन करने में चूक की हो;
 - (vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा।

धारा 39(1)

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किये गये इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा।

धारा 107(6) परन्तुक परंतु यह कि धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।

> आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 201/XC-S-1–25-16S-2025 Dated Lucknow, August 26, 2025

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 12, 2025.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.
- (2) Save as otherwise provided in this Act,–
 - (a) Section 2 (i) and 6 shall be deemed to have come into force on the Ist day of April, 2025;
- (b) Sections 2(ii), 2 (iii) to 5 and Sections 7 to 14 shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 2

- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 2,-
- (i) in clause (61), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted* with effect from the 1st day of April, 2025;
 - (ii) in clause (69),-
- (a) in sub-clause (c), *after* the words "management of a municipal", the word "fund" shall be *inserted*;
- (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely:—

Explanation—For the purposes of this sub-clause—

- (a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
- (b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called.";
 - (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:-
- '(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of Section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;';

3. In Section 12 of the Principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of Section 12

4. In Section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of Section 13

5. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),-

Amendment of Section 17

- (i) *for* the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 1st day of July, 2017;
- (ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be *inserted*, namely:—
- **Explanation 2.**—For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery".'.
 - 6. In Section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025, -

Amendment of Section 20

- (i) in sub-section (1), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted*;
- (ii) in sub-section (2), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," shall be *inserted*.
- 7. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:-

Amendment of Section 34

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

- (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
- (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".
 - 8. In Section 38 of the principal Act,-

Amendment of Section 38

- (i) in sub-section (1), *for* the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be *substituted*;
 - (ii) in sub-section (2),-
 - (a) *for* the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be *substituted*;
 - (b) in clause (a), the word "and" shall be *omitted*;
 - (c) in clause (b), *after* the words "by the recipient,", the word "including" shall be *inserted*;
 - (d) *after* clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely:—
 "(c) such other details as may be prescribed.".
- 9. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "and within such time", the words "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be *substituted*.

Amendment of Section 39 Amendment Section 107 of

of

10. In Section 107 of the principal Act, in sub-section (6), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:—

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty has been paid by the appellant.".

Amendment Section 112 11. In Section 112 of the principal Act, in sub-section (8), the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten percent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of Section 107 has been paid by the appellant."

Insertion of new Section 122B 12. After Section 122A of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

"122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in Clause (b) of sub-section (1) of Section 148A Acts in contravention of the provisions of the said Section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher.".

Insertion of new Section 148A 13. After Section 148 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

"148A.(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—

- (a) the goods;
- (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.
- (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),—
 - (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
 - (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
 - (3) The persons referred to in sub-section (1), shall,—
 - (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;
 - (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".

14. In Schedule-III of the principal Act,-

Amendment of Schedule-III

- (i) in paragraph 8, *after* clause (a), the following clause shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";
- (ii) in Explanation 2, *after* the words "For the purposes of", the words, brackets and letter "clause (a) of" shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017;
- (iii) *after* Explanation 2, the following Explanation shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–
- **"Explanation 3.**—For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005."
 - 15. No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had Section 14 of this Act been in force at all material times.

Saving

16. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 7 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra- State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance Act, 2025 (Act no. 7 of 2025).

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 7 of 2025) was promulgated by the Governor on July10, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH

Mukhya Mantri.

By order, J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १५३ राजपत्र-२०२५-(४५२)-५९९+२५+५=६२९ प्रतियां (डी०टी०पी० / ऑफसेट)।